संख्या–1044/33–3–2022–119/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 24 मई, 2022

विषयः–ग्राम पंचायत सचिवों (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) की तैनाती हेतु निर्मित क्लस्टर के मुख्यालय का चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–01/2022/2417/33–3– 2021–119/2020, दिनाँक 06.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) की तैनाती क्लस्टर के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रदेश में कुल 15720 क्लस्टर बनाए गए हैं। उक्त क्लस्टर के मुख्यालय का चयन भी किया गया है जिसकी सूची पंचायती राज विभाग की बेवसाइट www.panchayatiraj.up.nic.in पर उपलब्ध है।

2– ग्राम पंचायत सचिवों (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) की तैनाती क्लस्टर के अनुसार किया जायेगा। एक पंचायत सचिव को एक क्लस्टर में तैनात किया जायेगा, यदि किसी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को एक से अधिक क्लस्टर का चार्ज दिया जाता है तो अतिरिक्त क्लस्टर का चार्ज देते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि भौतिक रूप से साथ लगे क्लस्टर का चार्ज दिया जाय। ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय, क्लस्टर मुख्यालय होगा और यहाँ उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत सचिवों की उनके तैनाती के क्लस्टर मुख्यालय पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचयती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

Amit Sri.